भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1123
बुधवार, 8 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्लास्टिक कचरे से तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण

†1123. श्री एस. रामलिंगम:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्लास्टिक कचरे से बंगाल की खाड़ी के प्रदूषण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है तथा यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु के मयिलादुथुरई और नागपट्टिनम जिलों में प्लास्टिक कचरे से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) राष्ट्रीय समुद्री कचरा संबंधी नीति के अंतर्गत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई/पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), चेन्नई के माध्यम भारत के पूर्वी तट पर कई वैज्ञानिक क्रूज संचालित किए, जिसका उद्देश्य नदी के मुहानों और तटीय तलछट से 1-10 किमी की दूरी को कवर करते हुए जल स्तंभ में माइक्रोप्लास्टिक्स संकेंद्रण के स्थानिक-कालिक भिन्नता का पता लगाना था। सामान्य तौर पर, दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की तुलना में पूर्वोत्तर मानसून के दौरान पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा अधिक पाई गई। चेन्नई से पुडुचेरी क्षेत्र में जनवरी के दौरान (19±12.9 पार्टिकल्स/50 ग्राम शुष्क वजन) और उसके बाद जुलाई (10±4.5 कण/50 ग्राम शुष्क वजन) के दौरान तटीय तलछट में माइक्रोप्लास्टिक की माह-वार काफी अधिक बहुतायत पाई गई। अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार <1 मिमी था, और ज्यादातर ये रेशेदार और टुकड़े के रूप में थे जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने के जाल और कचरे से निकले थे। इसके अतिरिक्त, चेन्नई और पुडुचेरी समेत बंगाल की खाड़ी के बीच छह अलग-अलग रेतीले समुद्र तटों को इंटरटाइडल और बैकशोर क्षेत्रों में मैक्रो लिटर (आकार- 2.5 सेमी से 1 मी), मेसो लिटर (आकार- 5 मिमी से 2.5 सेमी), और माइक्रो लिटर (आकार- 5 मिमी से कम) के लिए क्वांटीफाई एवं कैरेक्टराइज किया गया था। इंटरटाइडल क्षेत्र की तुलना में समुद्र तट के बैकशोर क्षेत्र में कचरे की मात्रा काफी अधिक थी। राष्ट्रीय संवहनीय तटीय प्रबन्धन केंद्र (NCSCM), चेन्नई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने हिंद महासागर तटरेखा पर बिखरे हुए माइक्रो प्लास्टिक के फेट एवं ट्रांसबाउंडरी लैंडफॉल को ट्रैक करने वाले मॉडल सिम्युलेशन का प्रयोग करते हुए पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी जैसे ईको-सेंसिटिव क्षेत्रों समेत समुद्र-तटों में प्लास्टिक संदूषण का अध्ययन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO) के सहयोग से बंगाल की खाड़ी विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी निकटवर्ती नदियों में प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण का अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन में बंगाल की खाड़ी से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से संदूषित पाया गया।

(ख) तटीय समुद्री प्रदूषण निगरानी, स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में NCCR द्वारा भारत के पूर्वी तट पर 2018 से समुद्र तट की सफाई गतिविधियों का निष्पादन किया जाता रहा है। सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से समुद्र के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए नागरिकों के नेतृत्व वाला एक 75 दिवसीय अभियान "स्वच्छ सागर-सुरक्षित सागर" संचालित किया गया। इस अभियान का समापन 17 सितंबर 2022 (अन्तरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस) को भारत की 7500 किमी से अधिक लंबी तटरेखा 75 समुद्री तटो को कवर करते हुए किया गया। तमिलनाडु सरकार ने मयिलादुत्रयी और नागापट्टिनम में पैम्फलेट, ब्रोशर और विज्ञापनों के प्रसार के माध्यम से जनता और अन्य सभी हितधारकों के बीच प्लास्टिक कचरे के निपटान और प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा के हिस्से के रूप में नागपट्टिनम में जागरूकता कार्यक्रम प्लास्टिक विरोधी अभियान भी चलाया।

(ग) राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति अभी तक सूत्रीकृत नहीं की गई है। तथापि, समुद्री कचरे को मैप करने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं, जो कि नीति पत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (NCCR) के माध्यम से भारतीय तटों एवं निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में समुदी कचरे के कालिक एवं स्थानिक वितरण की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त कई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक, हितधारक, नीति-निर्माता, उद्योगजगत एवं अकादमिक जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति को सूत्रीकृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 अधिसूचित किया है, जिसमें देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए एक वैधानिक रूपरेखा वर्णित की गई है।

*****